

139

र. के. शिवानन्द

10-7-14

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण R-2091-2114

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

11 वक्र 40 मकर

शशत्रुघनसिंह पुत्र गोधनसिंह जाति
ठाकुर, निवासी- ग्राम सुन्दरपुरा
तहसील लहार, जिला भिण्ड,
म०प्र० --- आवेदक

बनाम

1. अमानसिंह पुत्र सुरजनसिंह
2. अभिलाखसिंह पुत्र मन्सूंसिंह समस्त
जाति ठाकुर, निवासीगण- ग्राम
सुन्दरपुरा तहसील लहार, जिला
भिण्ड, म०प्र० --- अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 20/5/2014
पारित द्वारा न्यायालय श्री शिवानन्द दुबे आयुक्त
चम्बल सम्भाग मुरैना, के प्रकरण क्रमांक
35/2011-12/निगरानी व उनवान अमानसिंह आदि
बनाम शशत्रुघनसिंह ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण माननीय
न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य


1. यहकि, आवेदक ने अधीनस्थ तहसील न्यायालय के
समक्ष दिनांक 6/12/96 को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2091-एक/14

जिला -भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-05-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता को एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M ✓